

<p>तारीख हुकम</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा)</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम को में जागी</p>
<p>17/10/17</p>	<p>पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडल में मुक्तकिल होकर प्रत्येक वर्ष कर फव्वारान में अधिवक्ता को जमा कर प्रलेखित करने के पत्रावली दिनांक 16/11/18 को वसती जागान्नी कार्यवाही रंगू भेजा जाे। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)</p>	
<p>15/11/18</p>	<p>पत्रावली पेशद्वारे। उच्चपक्षपरिष्कार पत्रावली अद्वारे, 07 दिनांक 11 अक्टूबर मूलकार पत्र में दिनांक 10/12/15 को लखनऊ किमा मजबूत पत्रावली नालेबदल दिनांक 16/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	
<p>16/4/18</p>	<p>पत्रावली पेशद्वारे वरील कार्य उपहीनता से 01/11/18 को पत्रावली सं 5 में अद्वारे प्रेषण प्रवेश जत उच्च प्रकरण नाम वरुण दिनांक 07/7/18 को पेश हो। प्रकाशने शिपपालन रहना। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	
<p>8.5.18</p>	<p>पत्रावली आज मुकाम नाले परलोक अचालत शीघ्र में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में पापीद्वारा अन्त रम अम्पाद निष्ठा की वर्ष 2012 में विस्तार मोग नीलानी रही है। मूलवाद अचाल संपत्ति में स्वत्व निष्कारण आलत होकर होखनात्मक होन अं उसक विस्तारण में समय लाना स्वाभाविक है।</p>	

P-1-0

न्यायालय

पदेन ... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेडा (पीतवाड़ा)

पुस्तक 77/17


9/17

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

विपक्षी द्वारा प्रापना पत्र अन्तर्गत आदेशों का
विषय ॥ C.P.C. के तहत प्रस्तुत किया
है परन्तु न्यायालय को अस्मिता है कि
यूँकि अचल संपत्ति के स्वत्व निर्धारण
आदत टाइटल निर्धारण किया जाना है।
ऐसी स्थिति में प्रापना पत्र अन्तर्गत आदेश
का विषय ॥ C.P.C. स्वीकार किया जाना
सं प्रापना को एक एक से वेचित रहना
पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रापना पत्र
अन्तर्गत आदेश का विषय ॥ CPC
आरिज किए जाने के आदेश एक
प्रकरण के संकेत में दिए जाते हैं।
एवं न्यायालय द्वारा अन्तर्गत अस्थाई
निर्देशाज्ञा दिनांक 17.03.2016 का
Confirmation किया जाता है।
उक्त आदेश दोनों पक्षों के लिए
बाध्यकारी होकर प्रत्येक पक्ष के विस्तारण
तक प्रभाव में रहेगा।

पञ्जाबली दर्ज रजिस्टर के क्रमा
की जाकर जेसल कुमार हो एवं सल
वादि के साथ खेलने रहे

निष्पत्ति सारे इन्फॉर्मेशन सुनाया गया।


उपखंड अधिकारी पीएम
सहायक क्लर्क करेडा